

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी: बीना महावर, आर0ए0एस0)

खारकी संख्या : 21/2021 प्रार्थना पत्र (खा.सु.अ.)

केशव कुमार गोयल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,  
भरतपुर।

आवेदक

बनाम

भजनलाल माली पुत्र श्री करनसिंह उम्र 55 वर्ष (खाद्य कारोवारकर्ता, मालिक एवं विक्रेता) मैसर्स  
सैनी मिष्ठान भण्डार गांधी चौक बयाना जिला भरतपुर निवासी भीतरवाडी बयाना

गैरसायल

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 26(2)(ii), 26(2)(v)/51 एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित :

1. प्रार्थी स्वयं
2. गैरसायल स्वयं

निर्णय

**दिनांक : 27.09.2021**

आवेदक द्वारा यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत 26(2)(ii), 26(2)(v)/51 एफएसएस एक्ट 2006  
रूल्स 2011 के अन्तर्गत विरुद्ध गैरसायल दिनांक 10.03.2021 को प्रस्तुत किया गया है। गैरसायल  
को जरिये नोटिस तलब किया गया। नियत दिनांक 27.09.2021 को गैरसायल उपस्थित। इस्तगासा  
की नकल देते हुये गैरसायल को इस्तगासा में अंकित आरोप सुनाया गया कि दिनांक 11.11.2020  
को प्रातः 11.00 बजे गैरसायल की दुकान सैनी मिष्ठान भण्डार गांधी चौक बयाना का निरीक्षण

किया गया। दौराने निरीक्षण/जांच गैरसायल की उक्त दुकान पर आम जनता के इस्तेमाल के लिये विक्रय हेतु लोहे की चार ट्रे में 15 किग्रा० मावा मिठाई (बर्फी) रखी हुई पाई गई। जिनमें मिलावट का संदेह होने पर नियमानुसार मौके पर नमूना लिया गया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी गई। खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/1095/एक्ट/2020/1167 दिनांक 18.12.2020 द्वारा उक्त मावा मिठाई (बर्फी) का नमूना अवमानक (Substandard Food) प्रकृति का पाया गया है। गैरसायल द्वारा अवमानक (Substandard Food) प्रकृति की मावा मिठाई (बर्फी) का विक्रय करके एफएसएसए 2006 की धारा 26(2)(ii), 26(2)(v) का उल्लंघन किया गया है।

आरोपों को सुन व समझकर गैरसायल का कथन है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा गैरसायल की फर्म मैसर्स सैनी मिष्ठान मण्डार गांधी चौक बयाना जिला भरतपुर से मावा मिठाई (बर्फी) की जांच हेतु नमूना लिया गया है। जो खाद्य विश्लेषण अलवर की जांच रिपोर्ट में अवमानक (Substandard Food) प्रकृति का पाया गया है। गैरसायल के द्वारा उक्त मावा मिठाई (बर्फी) के निर्माण में जो अनियमितता रही है वह सहवन से हुई है। उक्त मावा मिठाई (बर्फी) को जांच रिपोर्ट में हानिकारक नहीं माना जाकर अवमानक स्तर का पाया गया है। गैरसायल द्वारा यह त्रुटी सहवन से होने के कारण आरोप को स्वीकार करता है। गैर सायल की यह प्रथम गलती है जिसके लिये गैरसायल भविष्य में सावधानी पूर्वक देखभाल करके ही कोई प्रोडैक्ट का विक्रय करेगा। गैरसायल की यह प्रथम गलती है। इसलिये गैरसायल के प्रति नरमरुख अपनाते हुये कार्यवाही की जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। गैरसायल के कथनों पर मनन किया गया। दिनांक 11.11.2020 को प्रातः 11.00 बजे दौराने निरीक्षण/जांच गैर सायल की फर्म पर आम जनता के विक्रय हेतु मावा मिठा (बर्फी) करीब 15 किग्रा० रखी हुई पाई गई। खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/1095/एक्ट/2020/1167 दिनांक 18.12.2020 द्वारा उक्त मावा मिठाई (बर्फी) का नमूना अवमानक स्तर (Substandard Food) प्रकृति का पाया गया है। दौराने सुनवाई गैरसायल के द्वारा भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता की पुनरावृति नहीं

करने एवं सावधानी पूर्वक फूड प्रोजेक्ट का विक्रय करना स्वीकार किया है। गैरसायल की प्रथम गलती होने के कारण भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता की पुनरावृत्ति नहीं किये जाने की चेतावनी गैरसायल को दी जाती है। अतः उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत गैरसायल के द्वारा की गई अनियमितता के आधार पर 10000/-रूपये (दस हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। गैरसायलान अर्थदण्ड की राशि नियमानुसार राजकोष में जमा करावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 27.09.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।



(बीना महावर)  
न्याय निर्णयन अधिकारी  
एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर  
भरतपुर (राज.)